भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1488
(29 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के तहत लंबित भुगतान

1488. श्री उम्मेदा राम बेनीवाल:
श्री कुलदीप इंदौरा:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत राजस्थान में श्रमिकों की कुल लंबित मजदूरी और सामग्री भुगतान का राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) मनरेगा मजदूरी भुगतान में बार-बार देरी के राजस्थान सहित राज्यवार क्या कारण हैं और इसकी जवाबदेही किस स्तर पर तय की गई है;

(ग) क्या सरकार मजदूरी वितरण को समय पर और पारदर्शी बनाने के लिए तकनीकी और प्रशासनिक सुधार कर रही है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ सहित राजस्थान में मनरेगा के अंतर्गत पंजीकृत और नियोजित श्रमिकों की राज्यवार और जिला-वार संख्या कितनी है;

(च) पिछले वर्ष राज्यवार और जिलावार कितने श्रमिकों ने आवेदन किया और कितनों को 100 दिन का रोजगार प्रदान किया गया;

(छ) क्या सरकार बढ़ती मुद्रास्फीति और जीवन-यापन की लागत को ध्यान में रखते हुए मनरेगा मजदूरी में वृद्धि पर विचार कर रही है; और

(ज) यदि हाँ , तो राज्यवार प्रस्तावित वृद्धि कितनी है और इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) एक मांग-आधारित मजदूरी रोजगार योजना है। इस योजना के अंतर्गत , राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी करना एक सतत प्रक्रिया है। केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रोटोकॉल के

माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में मजदूरी का भुगतान किया जाता है। उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए राज्यों से प्राप्त निधि अंतरण आदेशों के आधार पर , मंत्रालय द्वारा लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से प्रतिदिन मजदूरी भुगतान की स्वीकृतियाँ जारी की जाती हैं।

सामग्री और प्रशासनिक घटकों के संबंध में , राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भारत सरकार को निधि जारी करने के प्रस्ताव प्रस्तुत करने होते हैं। केंद्र सरकार समय-समय पर दो भागों में निधियां जारी करता है, प्रत्येक भाग में एक या एक से अधिक किश्तें होती हैं , जो "सहमत" श्रम बजट, कार्यों की माँग, प्रारंभिक शेष, निधियों के उपयोग की गति, लंबित देनदारियों, समग्र निष्पादन को ध्यान में रखते हुए और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रासंगिक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के अध्यधीन होती हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को सामग्री निधि जारी करती है, उसके बाद राज्य सरकार ज़िलों को निधियां जारी करती हैं। केंद्र सरकार ज़िलों को सीधे निधियां जारी नहीं करती है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 (24.07.2025 तक) में राजस्थान राज्य को मजदूरी , सामग्री और प्रशासनिक घटकों के लिए 3,312.60 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

दिनांक 24.07.2025 की स्थिति के अनुसार, राजस्थान राज्य में इस योजना के अंतर्गत मजदूरी भुगतान हेतु लंबित देयता 561.28 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सामग्री घटक हेतु लंबित देयता 827.87 करोड़ रुपये है।

(ख) से (घ): अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार , लाभार्थी कार्य पूरा होने के 15 दिनों के भीतर मजदूरी भुगतान प्राप्त करने के हकदार हैं। समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए , भारत सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है, जिसमें मजदूरी भुगतान प्रक्रिया के प्रत्येक चरण के लिए - मस्टर रोल अपलोड करने से लेकर एफटीओ अनुमोदन तक निश्चित समय-सीमा निर्धारित की गई है। मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मिलकर मजदूरी के समय पर भुगतान में सुधार के लिए ठोस प्रयास कर रहा है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय पर भुगतान आदेश जारी करने की सलाह दी गई है।

मंत्रालय ने (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के अंतर्गत श्रमिकों को मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें शामिल हैं:

• राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (एनई-एफएमएस) में सुधार

• मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने , लंबित और देरी के लिए मुआवज़े के दावों का सत्यापन आदि के लिए राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ गहन परामर्श।

• समय पर भुगतान और देरी के लिए मुआवज़े के भुगतान की निगरानी के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को तैयार करना।

• राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ आवधिक बैठकों, निष्पादन समीक्षा समिति की बैठकों, मध्यावधि समीक्षाओं आदि के दौरान समय पर भुगतान और देरी के लिए मुआवज़े के भुगतान की स्थिति की समीक्षा करना।

इसके अलावा, मंत्रालय द्वारा समय पर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न तकनीकी कार्यकलापों के माध्यम से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कार्यकलाप इस प्रकार हैं:

• **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी):** मज़दूरी केंद्रीय खाते से सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती है, जिससे बिचौलियों की भूमिका कम होती है और निधियों का दुरुपयोग कम होता है। यह पारदर्शिता बढ़ाने और निधियों की हेराफेरी रोकने में कारगर साबित हुआ है। लगभग 100% निधयों का प्रबंधन इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाता है और मज़दूरी का भुगतान पूरी तरह से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रोटोकॉल के माध्यम से किया जाता है।

• **आधार भुगतान ब्रिज सिस्टम (एपीबीएस):** एपीबीएस रूपांतरण एक प्रमुख सुधार प्रक्रिया है जिसमें महात्मा गांधी नरेगा के तहत लाभ सीधे श्रमिकों के आधार कार्ड के अनुसार बैंक खातों में जमा किए जाते हैं , अधिमानतः आधार आधारित भुगतान , जिससे वितरण प्रक्रिया में कई लेयर्स कम हो जाती हैं। एपीबीएस बेहतर लक्ष्यीकरण , प्रणाली की दक्षता बढ़ाने और भुगतान में देरी को कम करने, निधियों की हेराफेरी को रोककर अधिक समावेशन सुनिश्चित करने में मदद करता है जिससे अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है।

• **राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली (एनएमएमएस):** कार्यस्थल पर जियो-टैग की गई तस्वीरों के माध्यम से वास्तविक समय में उपस्थिति दर्ज करने से उपस्थिति का सटीक और समय पर दर्ज किया जाना सुनिश्चित होता है, जिससे मज़दूरी का समय पर भुगतान करने में मदद मिलती है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम , 2005 (महात्मा गांधी नरेगा) की अनुसूची-II में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार , मस्टर रोल बंद होने के सोलहवें दिन के बाद , मज़दूरी रोजगार की मांग करने वाले , देरी के लिए, प्रतिदिन अवैतनिक मज़दूरी के 0.05% की दर से, मुआवज़ा पाने के हकदार होंगे। देरी के लिए मुआवज़ा नियम संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाते हैं। मुआवज़े के लिए देय राशि का विधिवत सत्यापन और अनुमोदन किया जाता है, और फिर राज्य सरकार द्वारा इसका भुगतान किया जाता है।

(ङ) और (च): पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत राजस्थान राज्य में पंजीकृत श्रमिकों की संख्या, रोजगार की मांग करने वाले श्रमिकों की संख्या और रोजगार प्राप्त करने वाले श्रमिकों की संख्या का जिलावार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत राजस्थान में 100 दिनों का रोजगार पूरा करने वाले परिवारों की जिलावार संख्या **अनुबंध-II** में दी गई है।

(छ) और (ज): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा) , 2005 की धारा 6(1) के अनुसार, केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा अपने लाभार्थियों के लिए अकुशल कार्य हेतु मजदूरी दर निर्दिष्ट कर सकती है। तदनुसार , ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु महात्मा गांधी नरेगा मजदूरी दर अधिसूचित करता है। महात्मा गांधी नरेगा श्रमिकों को मुद्रास्फीति की प्रतिपूर्ति के लिए , ग्रामीण विकास मंत्रालय कृषि

श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-एएल) में परिवर्तन के आधार पर प्रति वर्ष मजदूरी दर में संशोधन करता है। यह मजदूरी दर प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल से लागू होती है।

मजदूरी दर गणना की वर्तमान पद्धति का उपयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने मजदूरी दर अधिसूचित की है और पिछले वर्ष की तुलना में इसमें लगभग 5% (औसत) और पिछले 5 वर्षों में लगभग 29% (औसत) की वृद्धि हुई है। हालाँकि, राज्य सरकारें अपने स्रोतों से केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित मजदूरी दर से अधिक मजदूरी प्रदान कर सकती हैं।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 29.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1488 के भाग (ङ) और (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत राजस्थान राज्य में पंजीकृत श्रमिकों की संख्या, रोजगार की मांग करने वाले श्रमिकों की संख्या एवं रोजगार प्राप्त करने वाले श्रमिकों की संख्या का जिलावार विवरण (आंकड़े लाख में)

क्र.सं	राजस्थान के जिले	पंजीकृत श्रमिकों की संख्या	रोजगार की मांग करने वाले श्रमिकों की संख्या	रोजगार प्राप्त करने वाले श्रमिकों की संख्या
1	अजमेर	8.81	4.04	3.81
2	अलवर	5.75	1.27	1.06
3	बांसवाड़ा	9.94	5.67	5.31
4	बारां	6.45	2.17	1.98
5	बाड़मेर	13.46	7.20	6.90
6	भरतपुर	7.98	1.39	1.21
7	भीलवाड़ा	9.67	4.95	4.63
8	बीकानेर	7.94	3.33	2.89
9	बूंदी	5.75	1.61	1.45
10	चित्तौड़गढ़	5.47	1.69	1.48
11	चुरू	7.32	2.62	2.45
12	दौसा	3.94	0.85	0.65
13	धौलपुर	4.09	0.60	0.51
14	डूंगरपुर	8.23	4.73	4.54
15	हनुमानगढ़	6.06	2.22	2.07
16	जयपुर	7.93	1.42	1.23
17	जैसलमेर	3.14	1.90	1.82
18	जालौर	6.69	1.67	1.55
19	झालावाड़	6.80	3.64	3.40
20	झुंझुनूं	3.65	0.50	0.42

21	जोधपुर	12.46	3.92	3.37
22	करौली	4.89	1.15	0.97
23	कोटा	3.22	1.35	1.25
24	नागौर	13.93	5.45	5.17
25	पाली	8.81	2.26	2.03
26	प्रतापगढ़	4.40	3.04	2.90
27	राजसमंद	4.59	1.85	1.70
28	सवाई माधोपुर	5.83	0.95	0.77
29	सीकर	5.34	0.85	0.74
30	सिरोही	4.01	1.35	1.22
31	श्रीगंगानगर	6.11	2.79	2.56
32	टोंक	6.72	1.57	1.35
33	उदयपुर	12.38	4.11	3.85
	कुल	231.77	84.08	77.23

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 29.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1488 के भाग (ङ) और (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंधII

पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान महात्मा गांधी नरेगा के तहत राजस्थान में 100 दिन का रोजगार पूरा करने वाले परिवारों की जिलावार संख्या।		
क्र.सं	राजस्थान के जिले	100 दिन का रोजगार पूरा करने वाले परिवारों की संख्या
1	अजमेर	21305
2	अलवर	2179
3	बांसवाड़ा	39048
4	बारां	8052
5	बाड़मेर	52671
6	भरतपुर	2711
7	भीलवाड़ा	9681
8	बीकानेर	14463
9	बूंदी	3754
10	चित्तौड़गढ़	7847
11	चुरू	10703
12	दौसा	402
13	धौलपुर	403
14	डूंगरपुर	62306
15	हनुमानगढ़	30628
16	जयपुर	7052
17	जैसलमेर	21578
18	जालौर	12947
19	झालावाड़	1769
20	झुंझुनूं	3068
21	जोधपुर	16018

22	करौली	108
23	कोटा	3943
24	नागौर	26086
25	पाली	15913
26	प्रतापगढ़	32447
27	राजसमंद	24830
28	सवाई माधोपुर	465
29	सीकर	5782
30	सिरोही	19468
31	श्रीगंगानगर	16821
32	टोंक	2043
33	उदयपुर	34725
	कुल	5,11,216

(नरेगासॉफ्ट के अनुसार)